प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ 2683-75 दिनांकः 16 .08.2021

विषयः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महिला आरोग्य समिति हेतु दिशा–निर्देश।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को जनसमुदायं तक पहुचाने हेतु विविध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। शहरी आबादी को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओ तक पहुंच सुनिश्चित करने मे समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से महिला आरोग्य समितियों का गठन किया गया है। चिकित्सा अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या 2603 / पॉच–10–2016 दिनांक 13 अक्टूबर 2016 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शहरी आबादी में महिला आरोग्य समिति की गठन के संबंध में दिशा–निर्देश निगर्त किये गये थे। महिला आरोग्य समिति का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों जैसे पोषण, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय आदि निर्धारक तत्वों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य योजना का निर्माण करना एवं जनसमुदाय को शहरी क्षेत्र में दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग हेतु प्रेरित करना है। ऐसी अपेक्षा की गयी है कि यह समिति स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय सामूहिक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाएगी एवं धीरे–धीरे विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य योजना प्रक्रिया का स्वरूप लेगी।

इस वर्ष जनपद स्तर पर आंवटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 तक केवल स्लम क्षेत्रो मे कार्यरत आशाओ के सापेक्ष प्रति आशा 01 महिला आरोग्य समिति के गठन का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी शहरी आशाओ (स्लम व नान स्लम) के द्वारा 01 महिला आरोग्य समिति के गठन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। महिला आरोग्य समिति के गठन के जनपदवार संशोधित लक्ष्य व अनटाईड फंड हेतु डैप मे आवंटित धनराशि का विवरण पृष्ठ संख्या 06–09 मे दिया गया है।

1. **महिला आरोग्य समिति का उद्देश्य**– महिला आरोग्य समिति का उद्देश्य निम्नलिखित है–
   - सामुदायिक स्वास्थ्य निर्धारकों और स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जन सेवाओं के बारे में जानकारी देने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
   - समुदाय को स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों अनुभवों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने हेतु के एक मंच प्रदान करेगा।
   - स्थानीय रूप से प्रासंगिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मुददों के बारे में समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना और समुदाय द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वोत्तम आदतों को अपनाने एवं बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करेगी।
   - महिला आरोग्य समिति समुदाय में उपचारात्मक स्वास्थ्य व निवारक देखभाल सम्बन्धी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेगी।
   - महिला आरोग्य समिति समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप अनटाइड फंड के प्रबन्धन करेगी।
   - अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आँगनबाडी एवं ए0एन0एम0 जो कि समुदाय एवं स्वास्थ्य इकाइयों के बीच सम्पर्क का कार्य करते हैं, को सहयोग प्रदान करेगी।

- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं के विषय में समुदाय को जानकारी प्रदान करने हेतु एक संस्थागत मंच उपलब्ध करायेगी एवं इन कार्यक्रमों के योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी जिससे एक बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिल सके।
- समुदाय स्तर की सेवाओं को व्यवस्थित करने या सुविधा प्रदान करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिये रेफरल सम्पर्क स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

2. **महिला आरोग्य समिति की गतिविधियॉ– महिला आरोग्य समिति द्वारा निम्न गतिविधियॉ संचालित की जायेगी–**
    - मासिक बैठक आयोजित करना
    - समुदाय में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।
    - समुदाय को स्वस्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक करना ।
    - समुदाय में स्वास्थ्य से संबंधित अन्ध विश्वासों को दूर करना।
    - सार्वजनिक/स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी
    - स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्थानीय सामूहिक कार्यवाही का आयोजन
    - सामुदायिक स्वास्थ्य योजना बनाना
    - महामारी आदि के समय रोकथाम, उपचार आदि कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
    - स्वास्थ्य संसाधन की मैपिंग
    - अभिलेखों का रखरखाव
    - अन्टाईड फंड का प्रबंधन एवं लेखाकन

3. **महिला आरोग्य समिति की संरचना–** प्रारम्भ में प्रत्येक आशा के क्षेत्र (200–500 घर) में एक महिला आरोग्य समिति का गठन किया जायेगा। तत्पश्चात स्थानीय आवश्यकताओं एवं भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत अन्य महिला आरोग्य समितियों का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार महिला आरोग्य समिति लगभग 2000 की जनसंख्या या 200 से 500 घरों को आच्छादित करेगी। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति में कम से कम 10–20 सदस्य होने चाहिए। यह बस्ती के आकार के आधार पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन समूह का आकार 10 सदस्यों से कम व 20 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि बस्ती में रहने वाले लोग अलग–अलग सामाजिक समूहों के हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला आरोग्य समिति के गठन में स्लम क्षेत्रों के सभी इलाकों एवं सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हो।

3.1 सदस्यों का चयन–

- आवंटित क्षेत्र में आशा द्वारा क्षेत्रीय ए0एन0एम0, ऑगनबाड़ी एवं उस क्षेत्र में स्थानीय स्वैच्छिक संगठनो के सहयोग से गृह भ्रमण अथवा सर्वे के दौरान ऐसी महिलाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा, जो कि महिला आरोग्य समिति के सदस्य के रूप में चिन्हित किये जा सकते हों। महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के चयन में निम्न प्रकार की महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए–
    - ➢ ऐसी महिलायें जो स्वस्थ समुदाय की भावना रखते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व कौशल के साथ योगदान दे सकें।
    - ➢ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में कार्य करने का पूर्व अनुभव हो या स्वयं सहायता समूह का सदस्य, या स्लम क्षेत्र के किसी सामाजिक संगठन में सदस्य के रूप में कार्य किया हो।
    - ➢ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार्य महिलाएं जैसे ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, ऑगनबाड़ी सहायिका, आशा के रूप में कार्य कर रही हों।
    - ➢ क्षेत्र में आवासित जनसंख्या में यदि ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग है तो उनका प्रतिनिधित्व समिति में होना चाहिए।

- ➢ उत्प्रेरक के रूप में समुदाय स्तर पर कोई सामाजिक कार्य किया हो एवं जन समुदाये में स्वीकार्यता हो।
- ➢ परिवार नियोजन के क्षेत्र में आदर्श महिला, जो जन सामान्य को प्रेरित कर सके।

- आशा द्वारा उपरोक्त सम्भावित महिला सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में क्षेत्रीय ए0एन0एम0 एवं आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ साथ क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा। बैठक में आशा द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों यथा पोषण, पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी। बैठक में स्लम क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया जायेगा। बैठक में सम्भावित सदस्यों की भागीदारी के स्तर के अनुसार महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को चयनित किया जायेगा। इस बात को भी ध्यान रखा जायेगा कि समिति में स्लम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों एवं सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। वंचित समुदाय के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जाये एवं उन्हें महिला आरोग्य समिति का सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया जाये। यदि बैठक में अधिक संख्या में महिलाएं प्रतिभाग करती हैं तो आशा द्वारा दूसरी बैठक बुलायी जा सकती है एवं इन बैठकों में सदस्यों की प्रतिभागिता आदि के आधार पर महिला आरोग्य समिति के सदस्यों का चयन किया जा सकता है।
- आशा द्वारा चयनित सदस्यों की सूचना सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के पश्चात आशा द्वारा महिला आरोग्य समिति के सदस्यों की प्रथम बैठक बुलायी जायेगी। प्रारम्भिक बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी/डिस्ट्रिक्ट अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर/डी0सी0पी0एम0/सी0सी0पी0एम0 तथा क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।

3.2 **अध्यक्ष एवं सचिव का चयन–** प्रारम्भिक बैठक में आम चर्चा के द्वारा महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष का चयन किया जायेगा। यदि समिति के सदस्यों में एक नाम पर सहमति नहीं बनती है तो चयनित सदस्यों के बीच मत विभाजन करा कर अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। यदि 2 सदस्यों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो आशा को भी मत देने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष के चयन में वरीयता निर्धारित करने के लिए शैक्षिक योग्यता, स्वयं सहायता समूह के अनुभव वाली महिला को वरीयता दी जाए। क्षेत्रीय आशा महिला आरोग्य समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी। प्रथम बैठक का कार्यवृत्त आशा एवं सम्बन्धित ए0एन0एम0 द्वारा अभिलेखित किया जायेगा एवं इसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुरक्षित रखी जायेगी।

3.3 महिला आरोग्य समिति के पदाधिकारी तथा उनकी भूमिकाएं–

- **अध्यक्ष–** अध्यक्ष महिला आरोग्य समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगी। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जायेगा। बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा आशा के सहयोग से किया जायेगा। अध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक का एजेण्डा व उसके कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जायेगा। अध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को घरों का आवंटन करे, जिससे सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में समिति को अवगत कराया जा सके। समिति द्वारा जनसमुदाय में संचालित की जाने वाली स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों यथा स्वास्थ्य पोषण दिवस, आउटरीच कैम्प के सफल आयोजन हेतु आशा को आँगनबाडी व ए0एन0एम0 के साथ समन्वय बनाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। अध्यक्ष द्वारा अन्टाइड फण्ड के संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप में खाते का संचालन किया जायेगा।
- **सचिव–** आशा महिला आरोग्य समिति की सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगी। सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि वो मासिक बैठक के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करे। सचिव द्वारा सदस्यों के सहयोग से बैठक हेतु स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया जायेगा एवं इस

सम्बन्ध में सभी सदस्यों को बैठक के 7 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्देशन में बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवृत्त का निर्धारण किया जायेगा। सचिव द्वारा महिला आरोग्य समिति से सम्बन्धित सभी वित्तीय (कैश बुक, चेक बुक, बैंक पास बुक एवं वाउचर आदि) व गैर वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा। सचिव द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित होने वाले मासिक बैठक में महिला आरोग्य समिति के द्वारा किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया जायेगा एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी को समिति के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जायेगा। सचिव द्वारा अन्टाइड फण्ड के संयुक्त हस्ताक्षरी के रूप में खाते का संचालन किया जायेगा। सचिव द्वारा बैठक में आय–व्यय का पूर्ण विवरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ/संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. **महिला आरोग्य समिति की बैठक–** महिला आरोग्य समिति की बैठक प्रतिमाह आशा द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जायेगी। समिति की सदस्यों की सहमति से बैठक हेतु एक निश्चित दिवस (यथा महीने का दूसरा शनिवार या तीसरा रविवार) सुनिश्चित कर लिया जाये। बैठक हेतु स्थान, तिथि एवं समय की सूचना सभी सदस्यों को बैठक से कम से कम 7 दिवस पूर्व अवश्य प्रेषित की जायेगी। बैठक की सूचना क्षेत्र में कार्यरत ए0एन0एम0 ,आँगनबाड़ी तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अवश्य प्रेषित की जायेगी। बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सहयोग से एक निर्धारित एजेण्डा विकसित किया जायेगा। बैठक का समय इस प्रकार रखा जायेगा जिससे सदस्यों को इसमें प्रतिभाग करने में कोई परेशानी न हो। बैठक हेतु एजेण्डा के प्रारूप उदाहरणार्थ निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार सचिव/अध्यक्ष की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है–

4.1 महिला आरोग्य समिति की बैठक हेतु एजेण्डा का प्रारूप

क्रम संख्या	चर्चा के बिन्दु
1	परिचय एवं स्वागत
2	गत बैठक की अनुपालन आख्या
3	विभिन्न स्वास्थ्य एवं अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा
4	वित्तीय प्रगति (अनटाइड फन्ड) की समीक्षा
5	नवीन प्रस्ताव
6	अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से
7	धन्यवाद ज्ञापन

4.2 **महिला आरोग्य समिति के सदस्य का निष्कासन–** यदि कोई सदस्य तीन माह तक लगातार बिना किसी उचित कारण के मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहती है तो उसे महिला आरोग्य समिति से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई सदस्य एक वर्ष में (12 बैठकों में) से 6 बैठकों में अनुपस्थित रहती है तो उसे महिला आरोग्य समिति से हटाया जा सकता है। उक्त परिस्थितियों में समिति को हटाये गये सदस्य के स्थान पर बहुमत के आधार पर नवीन सदस्य चयन करने का अधिकार होगा।

5. **महिला आरोग्य समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण–** प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के 02 सदस्यों (अध्यक्ष एवं सचिव) का 02 दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कराया जाना है। यह प्रशिक्षण टी0ओ0टी0 प्रशिक्षित प्रशिक्षको द्वारा ही किया जाना है। महिला आरोग्य समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–प0क0–13/सं0नि0न0/म0आ0स0/128/2017/18/4232–35 दिनांक 14 सितम्बर 2017 के माध्यम से प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 मे स्वीकृत नवीन महिला आरोग्य समितियो की कार्ययोजना का विवरण संलग्नक–2 पर दिया गया है।

6. **वित्तीय व्यवस्था–**

- प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत बैंक खाता खोला जायेगा। खाते का संचालन चयनित अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव आशा के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। खाते की पास बुक एवं चेक बुक महिला आरोग्य समिति की सचिव के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- इस खाते में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से महिला अरोग्य समिति को अपने कवरेज क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों हेतु वार्षिक असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड) के रूप मे रू0 5000 प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों यथा दान, पुरस्कार आदि से प्राप्त होने वाली धनराशि भी जमा की जायेगी।
- महिला आरोग्य समिति के असम्बद्ध धनराशि (अन्टाइड फण्ड) के व्यय करने हेतु सदस्य सचिव अथवा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्ताव महिला आरोग्य समिति की बैठक (जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हो) में लाया जायेगा। उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्देशन में धनराशि व्यय की जायेगी एवं व्यय सम्बन्धी समस्त बिल/वाउचर आदि सचिव के पास सुरक्षित रखी जायेगी। सचिव द्वारा महिला आरोग्य समिति के व्यय विवरण को अभिलेखित करने के लिए एक कैश बुक भी भरी जायेगी।
- महिला आरोग्य समिति के वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन समय–समय पर क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा एवं अर्द्धवार्षिक रूप से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
- व्यय विवरण एवं अवशेष धनराशि की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आशा द्वारा माहवार तैयार कर प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रेषित की जायेगी। महिला आरोग्य समिति द्वारा वार्षिक व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वार्षिक रूप से प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास जमा की जायेगी जिसपर महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त सम्बंधित ए0एन0एम0 एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी के भी हस्ताक्षर अंकित किये जायेगें। प्रभारी चिकित्साधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा संकलित सूचना जनपद स्तर को प्रेषित की जायेगी। जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र को जनपद स्तर सुरक्षित रखा जायेगा।
- आकस्मिकता की स्थिति में अध्यक्ष महिला आरोग्य समिति एवं सदस्य सचिव आशा के संयुक्त निर्णय के आधार पर महिला आरोग्य समिति के खाते में उपलब्ध कुल धनराशि का अधिकतम 20 प्रतिशत बिना समिति से अनुमोदन प्राप्त किये व्यय किया जा सकता है, परन्तु समिति की अगली बैठक में प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7. **अण्टाइड फण्ड के उपयोग के सिद्धान्त–**

- असम्बद्ध धनराशि का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाय जो पूरे समुदाय के लिए लाभकारी हों केवल एक या दो व्यक्तियों के लिए नहीं।
- यद्यपि विशेष परिस्थितियों में बेसहारा महिलाओं या अत्यंत गरीब परिवारों के मामले में उनके स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों पर खासकर गरीब परिवारों को स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए असम्बद्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।
- महिला आरोग्य समिति की असम्बद्ध धनराशि का उपयोग उन्हीं क्रिया कलापों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए धनराशि किसी अन्य योजना में उपलब्ध न हो

8. **अन्टाइड फंड की सहायता से की जाने वाली गतिविधियॉ–** महिला आरोग्य समिति की धनराशि निम्न गतिविधियों में समिति के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जा सकती है–

- महिला आरोग्य समिति के बैठक रजिस्टर, कैश बुक एवं अन्य स्टेशनरी हेतु।

- महिला आरोग्य समिति की बैठक हेतु बैनर, दरी, जग, गिलास इत्यादि हेतु।
- स्वच्छता अभियान एवं आरोग्यकारी गतिविधियां, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां, संक्रामक रोग नियन्त्रण, यू0एच0एन0डी0 आदि हेतु।
- स्लम स्तर की जन स्वास्थ्य गतिविधियॉ जैसे सफाई अभियान, कीटनाशकों का छिडकाव आदि।
- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कारकों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार यथा दीवार लेखन, माइकिंग, मुनादी आदि हेतु।
- असमान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धन परिवार या बेसहारा महिला की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु।
- अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर के सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के संचालन हेतु।
- शहरी गरीबों के लिए विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान जो क्षेत्रीय संस्कृति, क्षमता एवं प्राकृतिक वातावरण के समानुरुप हो, को सामुदायिक परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा देगी।
- इसके अतिरिक्त महिला आरोग्य समिति द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार बजट को ध्यान में रखते अन्य गतिविधियां समिति के अनुमोदनोपरान्त की जा सकती है।

9. **महिला आरोग्य समिति के स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड–** एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसके रखरखाव का कार्य सम्बंधित आशा (सचिव) द्वारा किया जायेगा उक्त रजिस्टर में महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के नाम बैठक की कार्यवृति, जन सेवा निगरानी टूल, जन्म एवं मृत्यु सम्बंधी सूचना, व्यय विवरण आदि (प्रारूप संलग्न) अंकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव आशा द्वारा बैंक पासबुक अद्यतन रखी जायेगी। प्रत्येक महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर मुद्रण हेतु रु0 200.00/रजिस्टर/महिला आरोग्य समिति की दर से **U.12.1 Printing Activities** के अन्तर्गत धनराशि जिला कार्ययोजना मे आवंटित की गयी है (संलग्नक–01)। ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रचलित वी.एच.एस.एन.सी रजिस्टर की भांति ही इन रजिस्टरो का भी मुद्रण कराया जाना है जिसके स्पेसिफिकेशन व ready to print file पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

जनपदों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम सें महिला आरोग्य समिति संबंधी विभिन्न गतिविधियो हेतु निम्न फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है–

S.No.	District	Name of City	U.4.1.4 Untied Grants to MAS		U.12.1 Printing Activities
			Target	@ Rs. 5000/- per MAS	@ Rs. 200/- per register for 8603 MAS for MAS registers
1	Agra	Agra	625	3125000.00	125000.00
2	Aligarh	Aligarh	412	2060000.00	82400.00
		Atrauli	28	140000.00	5600.00
3	Prayagraj	Prayagraj	390	1950000.00	78000.00
4	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	21	105000.00	4200.00
		Tanda including Jalalpur	39	195000.00	7800.00
5	Amethi	Amethi	4	20000.00	800.00
6	Amroha (J.P Nagar)	Amroha	49	245000.00	9800.00
		Hasanpur	24	120000.00	4800.00
		Gajraula	21	105000.00	4200.00
7	Auraiya	Auraiya	20	100000.00	4000.00
8	Azamgarh	Azamgarh	23	115000.00	4600.00
		Mubarakpur	16	80000.00	3200.00
9	Baghpat	Baghpat Baraut	20	100000.00	4000.00

S.No.	District	Name of City	U.4.1.4 Untied Grants to MAS		U.12.1 Printing Activities
			Target	@ Rs. 5000/- per MAS	@ Rs. 200/- per register for 8603 MAS for MAS registers
		Baghpat	4	20000.00	800.00
10	Bahraich	Bahraich	47	235000.00	9400.00
11	Ballia	Ballia	44	220000.00	8800.00
12	Balrampur	Balrampur	27	135000.00	5400.00
13	Banda	Banda	38	190000.00	7600.00
14	Barabanki	Nawabganj	17	85000.00	3400.00
15	Bareilly	Bareilly	237	1185000.00	47400.00
		Faridpur	17	85000.00	3400.00
		Baheri	34	170000.00	6800.00
		Aonla	13	65000.00	2600.00
16	Basti	Basti	54	270000.00	10800.00
17	Bijnor	Nagina	13	65000.00	2600.00
		Bijnor	20	100000.00	4000.00
		Najibabad	8	40000.00	1600.00
		Chandpur	7	35000.00	1400.00
		Sherkot	6	30000.00	1200.00
		Kiratpur	8	40000.00	1600.00
		Seohara	8	40000.00	1600.00
		Dhampur	5	25000.00	1000.00
18	Budaun	Budaun	67	335000.00	13400.00
		Sahaswan	11	55000.00	2200.00
		Ujhani	14	70000.00	2800.00
19	Bulandshahar	Bulandshahr	76	380000.00	15200.00
		Khurja	49	245000.00	9800.00
		Sikandrabad	22	110000.00	4400.00
		Jahangirabad	14	70000.00	2800.00
		Gulaothi	13	65000.00	2600.00
20	Chandauli	Mughalsarai	12	60000.00	2400.00
21	Chitrakoot	Chitrakoot	11	55000.00	2200.00
22	Deoria	Deoria	47	235000.00	9400.00
23	Etah	Etah	37	185000.00	7400.00
24	Etawah	Etawah	111	555000.00	22200.00
25	Ayodhya	Faizabad	35	175000.00	7000.00
		Ayodhya	30	150000.00	6000.00
26	Farrukhabad	Farrukhabad	91	455000.00	18200.00
27	Fatehpur	Fatehpur	48	240000.00	9600.00
28	Firozabad	Firozabad	230	1150000.00	46000.00
		Shikohabad	12	60000.00	2400.00
		Tundla	10	50000.00	2000.00
29	GB Nagar	Noida	105	525000.00	21000.00
		Greater Noida	3	15000.00	600.00
		Dadri	2	10000.00	400.00
30	Ghaziabad	Ghaziabad	203	1015000.00	40600.00
		Loni	53	265000.00	10600.00
		Khora	15	75000.00	3000.00
		Modinagar	11	55000.00	2200.00
		Muradnagar	3	15000.00	600.00
31	Ghazipur	Ghazipur	30	150000.00	6000.00
32	Gonda	Gonda	43	215000.00	8600.00
33	Gorakhpur	Gorakhpur	338	1690000.00	67600.00

S.No.	District	Name of City	U.4.1.4 Untied Grants to MAS		U.12.1 Printing Activities
			Target	@ Rs. 5000/- per MAS	@ Rs. 200/- per register for 8603 MAS for MAS registers
34	Hamirpur	Rath	27	135000.00	5400.00
35	Hapur	Hapur	47	235000.00	9400.00
		Pilkhuwa	24	120000.00	4800.00
36	Hardoi	Hardoi	34	170000.00	6800.00
		Shahabad	10	50000.00	2000.00
		Sandila	10	50000.00	2000.00
37	Hathras	Hathras	39	195000.00	7800.00
38	Jalaun	Orai	27	135000.00	5400.00
		Jalaun	9	45000.00	1800.00
		Konch	8	40000.00	1600.00
		Kalpi	7	35000.00	1400.00
39	Jaunpur	Jaunpur	24	120000.00	4800.00
40	Jhansi	Jhansi	150	750000.00	30000.00
		Mauranipur	16	80000.00	3200.00
41	Kannauj	Kannauj	8	40000.00	1600.00
		Chhibramau	6	30000.00	1200.00
42	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	8	40000.00	1600.00
43	Kanpur Nagar	Kanpur	457	2285000.00	91400.00
44	Kasganj	Kasganj	31	155000.00	6200.00
45	Kaushambi	Manjhanpur	6	30000.00	1200.00
46	Kushinagar	Padrauna	12	60000.00	2400.00
47	Kheri	Lakhimpur	8	40000.00	1600.00
		Gola Gokaran Nath	1	5000.00	200.00
48	Lalitpur	Lalitpur	13	65000.00	2600.00
49	Lucknow	Lucknow	636	3180000.00	127200.00
50	Maharajganj	Maharajganj	21	105000.00	4200.00
51	Mahoba	Mahoba	25	125000.00	5000.00
52	Mainpuri	Mainpuri	52	260000.00	10400.00
53	Mathura	Mathura	154	770000.00	30800.00
		Vrindavan	9	45000.00	1800.00
		Kosi Kalan	8	40000.00	1600.00
54	Mau	Maunath Bhanjan	64	320000.00	12800.00
55	Meerut	Meerut	575	2875000.00	115000.00
		Mawana	5	25000.00	1000.00
		Sardhana	8	40000.00	1600.00
56	Mirzapur	Mirzapur	32	160000.00	6400.00
57	Moradabad	Moradabad	230	1150000.00	46000.00
58	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	57	285000.00	11400.00
		Khatauli	10	50000.00	2000.00
		Budhana	5	25000.00	1000.00
59	Pilibhit	Pilibhit	46	230000.00	9200.00
		Bisalpur	8	40000.00	1600.00
60	Pratapgarh	Bela Pratapgarh	14	70000.00	2800.00
61	Rae Bareli	Rae Bareli	48	240000.00	9600.00
62	Rampur	Rampur	82	410000.00	16400.00
63	Saharanpur	Saharanpur	236	1180000.00	47200.00
		Deoband	23	115000.00	4600.00
		Gangoh	15	75000.00	3000.00
64	Sambhal	Chandausi	25	125000.00	5000.00
		Sambhal	33	165000.00	6600.00

S.No.	District	Name of City	U.4.1.4 Untied Grants to MAS		U.12.1 Printing Activities
			Target	@ Rs. 5000/- per MAS	@ Rs. 200/- per register for 8603 MAS for MAS registers
65	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	24	120000.00	4800.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	Bhadohi	18	90000.00	3600.00
67	Shahjahanpur	Shahjahanpur	130	650000.00	26000.00
		Tilhar	21	105000.00	4200.00
68	Shamli	Shamli	25	125000.00	5000.00
		Kairana	12	60000.00	2400.00
69	Shrawasti	Shrawasti	3	15000.00	600.00
70	Sidharthnagar	Siddharthnagar	18	90000.00	3600.00
71	Sitapur	Sitapur	58	290000.00	11600.00
		Laharpur	11	55000.00	2200.00
		Biswan	11	55000.00	2200.00
		Mahmudabad	11	55000.00	2200.00
72	Sonabhadra	Sonbhadra	16	80000.00	3200.00
73	Sultanpur	Sultanpur	52	260000.00	10400.00
74	Unnao	Unnao	52	260000.00	10400.00
		Gangaghat	18	90000.00	3600.00
75	Varanasi	Varanasi	675	3375000.00	135000.00
TOTAL			**8603**	**43015000.00**	**1720600.00**

वर्ष 2021–22 मे नवीन स्वीकृत महिला आरोग्य समिति के ओरिएंटेशन की कार्ययोजना

Sr. No	District	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site	MAS Training Budget Allocated in DAP @ Rs 43300 per Batch
1	Aligarh	25	50	2	Aligarh	86600.00
2	Hathras	9	18			
3	Etah	19	38	1	Etah	43300.00
4	Kasganj	15	30	1	Kasganj	43300.00
5	Prayagraj	50	100	4	Prayagraj	173200.00
6	Kaushambi	3	6			
7	Pratapgarh	10	20			
8	Fatehpur	10	20	1	Fatehpur	43300.00
9	Ambedkarnagar	25	50	2	Ambedkarnagar	86600.00
10	Sultanpur	7	14			
11	Ayodhya	30	60	3	Ayodhya	129900.00
12	Barabanki	13	26			
13	Auraiya	20	40	1	Auraiya	43300.00
14	Etawah	74	148	5	Etawah	216500.00
15	Gonda	38	76	3	Gonda	129900.00
16	Balrampur	7	14			

Sr. No	District	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site	MAS Training Budget Allocated in DAP @ Rs 43300 per Batch
17	Bahraich	10	20	1	Bahraich	43300.00
18	Ballia	10	20	1	Ballia	43300.00
19	Mau	32	64	2	Mau	86600.00
20	Chitrakoot	5	10	4	Banda	
21	Banda	32	64			173200.00
22	Mahoba	6	12			
23	Hamirpur	15	30			
24	Bareilly	75	150	5	Bareilly	216500.00
25	Pilibhit	20	40	1	Pilibhit	43300.00
26	Shahjahanpur	20	40	1	Shahjahanpur	43300.00
27	Budaun	20	40	1	Budaun	43300.00
28	Basti	26	52	2	Basti	86600.00
29	Sidharthnagar	6	12			
30	Sant Kabir Nagar	20	40	1	Sant Kabir Nagar	43300.00
31	Bulandshahar	20	40	1	Bulandshahar	43300.00
32	Gorakhpur	30	60	4	Gorakhpur	173200.00
33	Deoria	15	30			
34	Kushinagar	1	2			
35	Maharajganj	8	16			
36	Jhansi	50	100	4	Jhansi	173200.00
37	Lalitpur	10	20			
38	Lucknow	70	140	5	Lucknow	216500.00
39	Rae Bareli	20	40	1	Rae Bareli	43300.00
40	Sitapur	58	116	4	Sitapur	173200.00
41	Unnao	30	60	2	Unnao	86600.00
42	Hardoi	20	40	1	Hardoi	43300.00
43	Mainpuri	10	20	1	Mainpuri	43300.00
44	Mathura	20	40	1	Mathura	43300.00
45	Firozabad	36	72	2	Firozabad	86600.00
46	Sambhal	20	40	1	Sambhal	43300.00
47	Amroha (JP Nagar)	28	56	2	Amroha (JP Nagar)	86600.00
48	Rampur	20	40	1	Rampur	43300.00
49	Saharanpur	46	92	4	Saharanpur	173200.00
50	Shamli	10	20			
51	Jaunpur	15	30	1	Jaunpur	43300.00
52	Varanasi	390	780	26	Varanasi	1125800.00

Sr. No	District	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site	MAS Training Budget Allocated in DAP @ Rs 43300 per Batch
53	Mirzapur	2	4			
	Total	**1581**	**3162**	**103**		**4459900.00**

10. **अनुश्रवण–** महिला अरोग्य समिति की बैठक का नियमित अनुश्रवण किया जाय। बैठक का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि उसमें उस क्षेत्र की ए0एन0एम0 / सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर / डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट / डी0सी0ए0ए0 / अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर / प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग कर महिला आरोग्य समिति का क्षमतावर्धन तथा उनके अभिलेखो को अद्यतन कराया जा सके।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/ तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक / शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0

Sr. No	District	Total No. Of Additional MAS Prposed to be Trained in 2021-22	No. Of Participants to be Trained @ 2 per MAS	No. Of Batches	Training Site	MAS Training Budget Allocated in DAP @ Rs 43300 per Batch
53	Mirzapur	2	4			
	Total	**1581**	**3162**	**103**		**4459900.00**

10. **अनुश्रवण–** महिला अरोग्य समिति की बैठक का नियमित अनुश्रवण किया जाय। बैठक का आयोजन इस प्रकार किया जाये कि उसमें उस क्षेत्र की ए0एन0एम0 / सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर / डी0ई0ओ0 कम एकाउन्टेंट / डी0सी0ए0ए0 / अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर / प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग कर महिला आरोग्य समिति का क्षमतावर्धन तथा उनके अभिलेखो को अद्यतन कराया जा सके।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Guideline/2020-21/47/2683-75(10) तददिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. संयुक्त निदेशक, नगरीय, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक / शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजेश झा)
महाप्रबन्धक, एन0यू0एच0एम0